न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ), नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र 59/2013

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
धन्नाराम पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार निवासी गोवाकला तहसील मूण्डवा जिला नागौर।		नथूराम पुत्र महराजराम जाति कुम्हार निवासी गोवाकला तहसील मूण्डवा जिला नागौर।

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
अधीन आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

आदेश

दिनांक :- 20/3/18

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थी की नियमनशुदा कब्जासुद जायगा खसरा नम्बर 539 मौजा गोवाकला मे 11 बिस्वा रहती चली आई है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का सन 1985 से पूर्व का कब्जा बहैसियत मालिक के निरन्तर रहता चला आया है जिस संबंध में पटवारी हल्का ने तहसीलदार नागौर के समक्ष अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट पेश करने पर अदालत तहसीलदार नागौर में मामला संख्या 45/1985 सरकार बनाम धन्नाराम पुत्र किशनाराम कुम्हार निवासी गोवाकला अधीन धारा 91 राजस्थान रेवेन्यू एक्ट के तहत चला जिसमें प्रार्थी व उसके गवाहान रामदेव, कालूसिंह, किशनाराम के बयान करवाये व विधिनुसार कार्यवाही होकर उक्त भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा मानकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.04.1977 के तहत तहसीलदार नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 29.03.1985 के द्वारा प्रार्थी के हक में उक्त खसरा की 500 वर्गगज भूमि निशुल्क व 500 वर्गगज सशुल्क नियमन कर 5 रूपये सन्नद फीस सहित राशि जमा कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु पटवारी हल्का को लिखे जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि प्रार्थी का उक्त आराजी पर 1985 से पूर्व का पुराना कब्जा हक अधिकार रहता चला आया है। तहसीलदार नागौर के आदेश दिनांक 29.03.1985 बाबत नियमन की प्रति साथ पेश है।

यह है कि, उक्त आराजी के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 26.02.1986 को पुनर्विलोकन आवेदन पेश कर उक्त आराजी अपने नाम नियमन करवाने का आदेश पारित करवा लिया जिसके विरूद्ध एडीएम व राजस्व अपील अधिकारी नागौर व जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अपीले पेश हुई जो खारिज होने पर उसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी पेश की गयी जो निगरानी संख्या–निगरानी/एल.आर./33/2000/नागौर धनाराम बनाम नथूराम दर्ज जिसका निर्णय दिनांक 22.06.2004 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पारित करते हुए प्रार्थी की उक्त निगरानी स्वीकार कर उक्त राजस्व अपील अधिकारी के आक्षेपित आदेश दिनांक 31.03.2000, अपर जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 30.09.1998 एवं तहसीलदार नागौर के आदेश दिनांक 26.06.1991 व पुनर्विलोकनयाचिका दिनांक 26.02.1986 को अपास्त करते हुए प्रार्थी के हक में तहसीलदार नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.1985 को बहाल किया। इस प्रकार उक्त जायगा प्रार्थी की एक मात्र कब्जासुद, नियमनसुदा स्वामित्व की जायगा है जिसे माननीय राजस्व

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

...तक प्रार्थी का स्वामित्व माना है व प्रार्थी के हक में निर्णय हुऐ है इस प्रकार प्रथम दृष्टया ...प्रार्थी के पक्ष में है।

यह है कि, प्रार्थी के हक में हुऐ नियमन आदेश दिनांक 29.03.1985 व उसे माननीय राजस्व ...अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.06.2004 द्वारा बहाल रखने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 ...नियत प्रार्थी की उक्त जायगा को हड़पने की रही है चूकि प्रार्थी मजदूरी हेतु खाने कमाने के ...बाहर आता जाता रहता है अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर ...की कब्जासुद स्वामित्व की नियमनसुदा जायगा पर कब्जा करने की फिराक में रहता है तथा ...करने के बावजूद भी नही मान रहा है मौके पर पत्थर वगैरा डालकर पक्का निर्माण करवा कर ...करने की फिराक है तथा खुली धमकिया दे रहा है जिससे प्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद ...अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि, प्रार्थी के हक में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय पारित कर रखा ...ने व सन 1985 मे उक्त जायगा नियमन होने के बावजूद आज तक राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम ...तेदारी में दर्ज नही होने से वादी वास्ते घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश करना ...वश्यक हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। ...प्रार्थी संख्या 1 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, वाद के अनुच्छेद ...संख्या एक के तथ्य गलत है, अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रार्थी की नियमशुदा कब्जाशुदा जायगा ...खसरा संख्या 539 रकबा 11 बिस्वा मौजा गोवा कंला में रहती चली आई हो। उक्त भूमि पर प्रार्थी ...का सन् 1985 से पूर्व का कब्जा बहैसियत मालिक के निरन्तर रहता चले आने, पटवारी हलक द्वारा तहसीलदार जी के समक्ष प्रार्थी की अतिक्रमण रिपोर्ट पेश करने तथा तहसील नागौर में मामला संख्या 44/1985 सरकार बनाम रामकरण के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत मुकदमा चलने और उसमे गवाहो के बयान करवाने व विधि अनुसार कार्यवाही होकर उक्त भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा मानकर 29.03.1985 को प्रार्थी के हक में 500 व 500 वर्गगज भूमि का नियमन करने व अप्रार्थी हल्का को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का लिखने वगैरा तमाम तथ्य झूठे व गलत है। तहसीलदार का 29.03.1985 का नियमन आदेश गलत झूठा व रिकार्ड तथा मौके के विपरीत होने से ऐसा आदेश प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है तथा यह नियमन आदेश रद्ध भी किया जा चुका है। प्रार्थी का गोवाकला के खसरा नम्बर 539 रकबा 11 बिस्वा अथवा खसरा नम्बर 539 के किसी भी हिस्से पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। इस वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 539 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा पर कब्जा काश्त कदीम से अप्रार्थी के पिता पहराजराम तथा अप्रार्थी नत्थूराम का रहता रहा तथा इस कब्जे का इन्द्राज गिरदावरियो के नाम दर्ज होता रहा। प्रार्थी व उसके भाई ने पटवारी से मिलावट कर धारा 91 की झूठी कार्यवाही आरम्भ करवाई व गलत तव्वजह ...र फर्जी रूप से अपने नाम नियमन पत्रावली जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थी व उसके पिता ने उजरदारी की जिस पर 29.03.1985 के नियमन आदेश को तहसीलदार नागौर ने रद्ध कर दिया तथा कब्जा पहराजराम व नत्थूराम का होने से खसरा नम्बर 539 की वादग्रस्त भूमि की सनद (पटटा) उनके नाम जारी की। पूर्ण विवरण विशेष कथन में है।

यह है कि, वाद के अनुच्छेद संख्या 2 के तथ्य जिस तरह से अभिकथित किये गये है व पूर्णतया सही नही होने से अस्वीकार है। यह सही है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का गलत रूप से नियमन अपने नाम करवा लेने की जानकारी जब अप्रार्थी के पिता पहराजराम व नत्थूराम को हुई तब

Scanned by CamScanner

ोने आपत्ति पेश की जिस पर प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 29.03.1985 को किया गया नियमन आदेश किया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी व उसके भाई धन्नाराम ने अतिरिक्त जिलाधीश नागौर, राजस्व ोल अधिकारी नागौर के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जो प्रार्थी की अपीलें खारिज की गई। राजस्व डल अजमेर के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पेश की हुई है जो अभी ाराधीन है तथा मामला उच्च न्यायालय में लंबित है और उच्च न्यायालय से वादग्रस्त भूमि बाबत ास्थिति का आदेश पारित है। 29.03.1985 के आदेश के बहाल होने वगैरा तथ्य गलत व मिथ्या । यह गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्ज हो और वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के कब्जासुद, यमनशुद स्वामित्व की जायगा हो यह भी गलत है। प्रार्थी के हक में किसी तरह का प्रथम दृष्टया मला नही है।

अतिरिक्त कथन

यह है कि, गोवाकला के खसरा नम्बर 539 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि अप्रार्थी के पिता श्री हराजराम व अप्रार्थी नत्थूराम के कब्जे की भूमि पीढीयों से रहती रही है। यह भूमि अप्रार्थी के पिता ादा के समय से कब्जे में रहती रही है। अप्रार्थी नत्थूराम का कब्जा भी अपने पिता पहराज के साथ हता रहा है। इस भूमि में अप्रार्थी के बाड़े बने हुए रहे है। अप्रार्थी नत्थूराम के पिता पहराज व नत्थूराम दोनो के बाड़े बने हुए है। पहराज का पचासा भी इसमें बना हुआ था। अप्रार्थी नत्थूराम की ान व बाडा था तथा अप्रार्थी नत्थूराम का निवास शुरू से ही इसमें रहा था। पहराजराम पिता होने से शामिलात में ही गिरदावरी पहराजराम के नाम दर्ज होती रही।

यह है कि, खसरा नम्बर 539 का मूल रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा था। प्रार्थी व उसके पिता का कभी भी इस खसरा नम्बर 539 की भूमि पर कब्जा नही रहा था मगर फिर भी पटवारी से मिलावट कर धारा 93 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही अपने खिलाफ शुरू करवा कर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई ने अपने नाम तहसीलदार नागौर से इस 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि मे से आधा–आधा बीघा भूमि का गलत व अवैध रूप से छुपे तौर पर अपने नाम पट्टा (सनद) जारी कर लिया। इस सनद के आधार पर फरवरी 1986 में रामकरण व प्रार्थी के पिता किशनाराम तथा प्रार्थी धन्नाराम ने अप्रार्थी के पिता पहराज व अप्रार्थी नत्थूराम के कब्जे में दखल डालने की कोशिश की तथा जबरन कब्जा करना चाहा व झगडा टन्टा किया मगर कब्जा करने में सफलता नही मिली तथा अन्त में प्रार्थी व उसके पिता ने राजीनामा कर लिखत लिख दी तथा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अप्रार्थी के पिता पहराज व अप्रार्थी नत्थू का होना स्वीकार किया है। पटटा प्रार्थी व उसके भाई ने छुपे तौर पर बनाये थे जिस मामले में अप्रार्थी व उसके पिता तथा भाई पक्षकार नही थे मगर फर्जी रूप से पटटे जारी हो जाने की जानकारी होने पर अप्रार्थी के पिता पहराजराम व अप्रार्थी नत्थूराम ने तहसील न्यायालय में पुनर्विलोकन आवेदन पेश किया जो आवेदन तहसीलदार ने स्वीकार कर प्रार्थी तथा उसके प्रार्थी धन्नाराम के नाम वादग्रस्त भूमि की जारी सनद को खारिज व रद्ध कर दिया।

त्हसीलदार के इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त जिलाधीश नागौर की अदालत में अपील की जो अपील स्वीकार की जाकर मामला दोनो पक्षो की साक्ष्य के आधार पर तय करने हेतु तहसीलदार नागौर को दिनांक 24.06.1986 को रिमान्ड किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध धन्नाराम ने कही पर अपील नही की।

मामला तहसीलदार को पुनः प्रेषित होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो को ही साक्ष्य सबूत का अवसर देकर तहसीलदार नागौर ने प्रार्थी रामकरण व धन्नाराम के नाम वादग्रस्त भूमि की जारी सनद को रद्ध कर वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के पिता पहराजराम व अप्रार्थी के भाई नत्थूराम के नाम

सहायक कलक्टर
(SDO) नागौर

Scanned by CamScanner

को सनद जारी की। तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 26.06.1991 में यह भी माना कि रामकरण व उसके भाई धन्नाराम का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा बल्कि पहराज का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित है इसलिए खसरा नम्बर 539 की भूमि की सनद अप्रार्थी के पिता पहराजराम व अप्रार्थी नत्थूराम के नाम जारी कर दी। तहसीलदार के निर्णय दिनांक 26.06. 1991 के विरूद्ध रामकरण व धन्नाराम ने अपील अतिरिक्त जिलाधीश नागौर के यहां पेश की जो खारिज हुई तत्पश्चात धन्नाराम व रामकरण ने द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहां पेश की जो अपील भी खारिज हो गई। वर्तमान में इस वादग्रस्त भूमि का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा उच्च न्यायालय में स्टे जारी है।

यह है कि, प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही होने तथा कब्जा अप्रार्थी का होने के तहसीलदार के इस निष्कर्ष को किसी न्यायालय के द्वारा नही पलटा गया है। प्रार्थी अथवा उसके सगा भाई का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही रहा है इसके विपरीत अप्रार्थी का कब्जा दस्तावेजो से साबित है। गिरदावरियो में अप्रार्थी का कब्जा मौके पर कब्जा होने से दर्ज होता रहा है। स्वयं प्रार्थी उसके भाई व उसके पिता की भी लिखत में कब्जे के इस तथ्य की स्वीकृति है। इस स्वीकृति से प्रार्थी बाऊन्ड है और इसके विपरीत किसी तरह का कथन होने से विवन्धित (एसओप्ड) है। प्रार्थी का न तो वाद से पहले, न वाद के दिन और न आज दिन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अप्रार्थी उतरदाता का होने से कब्जा धारी के विरूद्ध प्रार्थी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है न वाद चलने योग्य है।

वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थी उतरदाता के खातेदारी कब्जे की भूमि है और इसके वर्तमान खसरा नम्बर 914/539 रकबा 10 बिस्वा है। प्रार्थी को भूमि के खसरा संख्या तक की जानकारी नही है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध भी स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती।

यह है कि, प्रार्थी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रार्थी का वाद धारा 88 की परिधि में नही आता है। प्रार्थी का वाद बतौर आसामी, आसामी खुदकाश्त, शिकमी आसामी अथवा संयुक्त काश्तकारी में हिस्से के आधार पर नही होने से इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है और न वादग्रस्त भूमि पर अपनी खातेदारी की वाद में बताये आधारों पर घोषित करवा सकता है।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी वकील ने एक आवेदन पत्र एवं दस्तावेजात मय सूची पेश की। जो शामिल पत्रावली रहे। वादग्रस्त खसरा नम्बर 539 किस्म भूमि बारानी अलीफ रकबा 11 बिस्वा पर प्रार्थी धन्नाराम का पुराना कब्जा मानकर तहसीलदार नागौर के मुकदमा संख्या 45/1985 सरकार बनाम धन्नाराम में पारित आदेश दिनांक 29.03.1985 को प्रार्थी के हक मे 500 वर्गगज निःशुल्क व 500 वर्गगज कीमतन के नियमन किया गया था एवं हल्का पटवारी को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी नत्थूराम द्वारा विभिन्न न्यायालयो में अपीले प्रस्तुत की गई थी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 22.06.2014 के द्वारा तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 29.03.1985 को पारित आदेश को बहाल कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के यहां एस.बी.सिविल रिट संख्या 3335/2004 प्रस्तुत की जिसकी प्रमाणित प्रति अप्रार्थी के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की है। दिनांक 10.08.2004 के बाद उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश पारित किया। वर्तमान स्थिति की कार्यवाही की प्रति अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की है।

(SDO Nagaur)

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से इस आशय तक स्वीकार जाता है कि खसरा नम्बर 539 रकबा 11 बिस्वा मौजा गोवाकला पर उभय पक्षकारान वर्तमान की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखे।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश आज दिनांक 20/3/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर

Scanned by CamScanner